(राजस्थान सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15/2024
पंजीकरण संख्या :– 2024/35

बउनवान

लालचंद पुत्र तुलस्या मीना निवासी ग्राम ब्रह्माखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, हरनावदा शाहजी
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1. श्री मदन मोहन नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.05.2024

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदा शाहजी के प्रकरण संख्या 625/2023 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में नायब तहसीलदार हरनावदा शाहजी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2023 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम ब्रह्माखेडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा नम्बर 10 की रकबा 1 बीघा भूमि पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 03 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 50/– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 27.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, प्रकरण मे विवादित भूमि पर वर्तमान मे कब्जा काश्त संबंधित रिपोर्ट तलब की गई, जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौरान ब[illegible]त किया कि अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नही किया [illegible] अप[illegible]ट ने सरकारी चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है [illegible] रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सु[illegible]ही पश्चातवर्ती अति[illegible]नने मे कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के [illegible]न्तों के विरूद्व होने से [illegible] दृष्टया ही काबिल खारजी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे अर्थदण्ड जुर्माना जमा करा दिया है तथा अपीलांट को अब कोई सरकारी भूमि या पठार भूमि पर अतिक्रमण नही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.03.2023 बाबत् एक माह की सजा एवं जुर्माना निरस्त फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:41 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी संवत् 2078 रबी में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 660/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट अनुसार संवत् 2079 ग्राम ब्रह्माखेडी खसरा नंबर 10 की रकबा 1 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर फसल सरसों की बोई गई है। प्रकरण में नायब तहसीलदार हरनावदा शाहजी के पत्रांक 24 दिनांक 01.05.2024 से प्राप्त विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार रबी संवत् 2080 ग्राम ब्रह्माखेडी की आराजी खसरा नम्बर 10 पर अपीलांट ने 01 बीघा भूमि पर गेहूँ की फसल बोकर अतिक्रमण किया जाकर फसल काश्त की गई है। अतिक्रमी को उक्त विवादित आराजी से बेदखल कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना साबित होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में उपस्थित रहा है। यह न्यायालय पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदा शाहजी के प्रकरण संख्या 625/2023 किस्म अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम लालचन्द मीना मे पारित निर्णय दिनांक 20.03.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **24.05.2024** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति० जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:41 IST
Reason: SelfAttested